

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -

12012 रेस्टोरेशन

M-109-I/2012

राधा कृष्ण पुत्र दयाल राओर निवासी
ग्राम आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्ड म.प्र.
हाल निवासी - ग्राम गोरख तहसील सेवदा जिला
दात्या म.प्र. ----- आवेदक

श्री आर. सी. शर्मा
द्वारा आज दिनांक 19-1-12 को
प्रस्तुत

[Signature]
19-1-12
जलक ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[Signature]
Aev.
(A.C. Sharma)
Aev.

बनाम

दुर्गा प्रसाद पुत्र दयाल राओर निवासी ग्राम
आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्ड म.प्र.

--- आवेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 32 प्राथमिक नियम राजस्व मण्डल

एव धारा 32 मध्य प्रदेश अधिनियम राजस्व संहिता एव धारा 35 म.प्र.
अधिनियम राजस्व संहिता बास्ते प्रकरण क्रमांक 1815/पी.बी.आर/07/
व उन्वान राधा कृष्ण दुर्गा प्रसाद छारिजा दिनांक 19.1.12
पुनः स्थापित किये जाने बाबत ।



श्रीमान जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थान्तरिम प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि उपरोक्त प्रकरण श्रीमान न्यायालय के समक्ष नियत था ।
- 2- यह कि प्रार्थी अभिभाषक न्यायालय ने एम एफ सी महोदय ग्वालियर सं. समक्ष आर के जैन प्रकरण क्रमांक 17263/10 ई.फो. व उन्वान पूर्णस माधोगंज बनाम मोहन चर्मा आदि के प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य परीक्षण प्रतीरीक्षा कर रहे थे उक्त प्रतीपरीक्षा न्यायालयीन समय 11 बजे से प्रारम्भ हुआ था । और 12.50 उक्त प्रतीपरीक्षा समाप्त हुआ जब प्रतीपरीक्षा उपरान्त प्रार्थी अभिभाषक श्रीमान न्यायालय में पहुंचे तो प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि प्रार्थी का उक्त प्रकरण अदम पैरवी में छारिज हो

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. M-109-I/12 जिला दतिया

स्थापना / इगि प्रकल्प

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-12-15	<p>आवेदन को सूचना दी जावे/ मुख प्रकाश मुख प्रकाश साक्ष में रखा जावे/ व्यापकता पर तर्क देवु / C.F. 10-2-16</p>	<p><i>[Signature]</i> दि 20</p>
10/2/16	<p>आवेदन एवं आवेदन अधिवक्ता अप- अव से प्रकल्प दायर किया है जबसे प्रकल्प में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अतः प्रकल्प में भाग नहीं होने के कारण प्रकल्प इतनी हीर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p><i>[Signature]</i> सत्य</p>

[Handwritten mark]